न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **148/24 (वाद)**

GCMS No. : 2024/338

1. श्री वक्तावरसिंह पिता भंवरसिंह मुतबन्ना केशरसिंह राजपूत निवासी देवाली तहसील घासा।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती सुशीला कुंवर माता कमलाकुंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी भोपालसिंह राजपूत निवासी मुर्डिया तहसील वल्लभनगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याणसिंह राव, अधिवक्ता वादी।
2. श्री नाथूलाल गर्ग, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.01.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा देवाली पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 1172/686, 636, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 किता 14 कुल रकबा 2.5737 हेक्टेयर उक्त कृषि भूमि मय आ.चा. कुंआ मय मकान वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में श्री केसरसिंह पिता झुंझारसिंह राजपूत एवं अन्य सह खातेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, उक्त कृषि भूमि मय आ.चा. कुंआ व मकान श्री केसरसिंह पिता झुंझारसिंह के नाम 1/3 हिस्से से खातेदारी में दर्ज हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 669 रकबा 0.0728 आ.चा. कुंआ उक्त कृषि भूमि मय आ.चा. कुंआ वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में श्री केशरसिंह पिता श्री झुंझारसिंह राजपूत एवं अन्य सह खातेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, उक्त कृषि भूमि मय आ.चा. कुआ श्री केशरसिंह पिता झुंझारसिंह राजपूत के नाम 1/9 हिस्से से खातेदारी में दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि मय आ.चा. कुआ वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में केसरसिंह पिता झुंझारसिंह के नाम पर में वर्णित हिस्से अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी में दर्ज है, केसरसिंह पिता झुंझारसिंह राजपूत का देहावसान दिनांक 02.06.2016 एवं केसरसिंह की विवाहिता पत्नी श्रीमती धापुकुंवर का देहावसान आज से लगभग 48 वर्ष पूर्व दिनांक 07.10.1974 को हो चुका है। स्वर्गीय केसरसिंह के कोई जायन्दा पुत्र सन्तान उत्पन्न नहीं हुई, केवलमात्र एक जायन्दा पुत्री श्रीमती कमलाकुंवर जिसका भी देहावसान हो चुका है, स्वर्गीय श्रीमती कमलाकुंवर के भी कोई पुत्र सन्तान उत्पन्न नहीं हुई। एकमात्र जायन्दा पुत्री श्रीमती सुशीलाकुंवर जो इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 हैं।

3. यह कि स्वर्गीय केसरसिंह की विवाहिता पत्नी श्रीमती धापुकुंवर जिनका देहावसान पिछले कई वर्षो पूर्व हो गया। स्वर्गीय केसरसिंह के जीवनकाल में उनके कोई जायन्दा पुत्र सन्तान उत्पन्न नहीं हुई और स्वर्गीय केसरसिंह द्वारा दूसरा विवाह नहीं किया गया। स्वर्गीय केसरसिंह की उनके जीवनकाल में यह मंशा थी कि पुत्र गोद लिया जाए, जिस पर स्वर्गीय केसरसिंह द्वारा उनके जीवनकाल में पुत्र गोद लेने का निश्चय कर लिया गया व पुत्र गोद लेने का निश्चय करते हुए स्वर्गीय केसरसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में मुझ वादी के प्राकृतिक पिता का सगे काका–भतीजा का रिश्ता हो, को अपने पुत्र के गोद रखने के सम्बन्ध में बातचीत अर्थात वादी वक्तावरसिंह को उसकी बाल्यावस्था में गोद रखने हेतु निवेदन किया, जिस पर मुझ वादी के प्राकृतिक पिता एवं स्वर्गीय केशरसिंह द्वारा उनके जीवनकाल में गोद लेने व गोद देने में अपनी अपनी पूर्ण सहमति से वादी वक्तावरसिंह को सामाजिक रिति रिवाजानुसार गोद की सभी रस्मो को पूर्ण करते हुए गोद दिया व लिया गया व गोद की सभी रस्मों को पूर्ण करते हुए वादी को स्वर्गीय केसरसिंह जी के गोद रखा गया व वादी के प्राकृतिक पिता व स्वर्गीरू केसरसिंह द्वारा अपनी अपनी पूर्ण सहमति से गोदनामा दिनांक 03.11.2008 को लिख सम्पादित कर गोद नामा का विधिवत् पंजीयन करवाया गया। वादी स्वर्गीय केशरसिंह की गोद में पला बडा हो वादी समझ पकडने व वयस्क होने उपरान्त स्वर्गीय श्री केशरसिंह की वृद्वावस्था में उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहने पर वादी द्वारा केसरसिंह की मृत्यु पर्यन्त तक दत्तक पुत्र की हैसियत से दत्तक पुत्र के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सामाजिक कार्यक्रम भी वादी द्वारा पुत्र की हैसियत से सम्पन्न किए गए एवं स्वर्गीरू केसरसिंह के जीवनकाल में उनके अंतिम समय तक वादी द्वारा सेवा, सुश्रषा, देखभाल, भरण पोषण किया जाता रहा जिस पर स्वर्गीय केसरसिंह द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

अपनी पूर्ण सहमति से गोदनामा लिख सम्पादित कर उक्त गोदनामा का विधिवत् पंजीयन करवाया गया, उक्त गोदनामा के विधिवत् पंजीयन उपरान्त वादी कानूनन स्वर्गीय केशरसिंह जी का मुतबन्ना दत्तक पुत्र कहलाया। वादी स्वर्गीय केशरसिंह का दत्तक पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी के रिश्ते में सगी भाणेज अर्थात स्वर्गीय केशरसिंह जी की सगी दोहित्री हो स्वर्गीय श्री केशरसिंह पिता झुंझारसिंह के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण हैं। वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा किया हुआ होकर वादी स्वर्गीय केशरसिंह का दत्तक पुत्र होने की हैसियत से उक्त वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि का वादी स्वर्गीय केशरसिंह का दत्तक गोद पुत्र हो विधिक वारिस उत्तराधिकारी है तथा वादी स्वर्गीय केशरसिंह का दत्तक पुत्र गोदपुत्र विधिक वारिस उत्तराधिकारी होने से स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित कृषि भूमि के हक हिस्से की कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का स्वामित्व हक स्वत्व अधिकार होकर हिस्सा है अर्थात् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि के संयुक्त रूप से समान हक हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व अधिकार आधिपत्य एवं कब्जे उपभोग में होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 हक हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, वादी स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि में स्वर्गीय केशरसिंह का दत्तक पुत्र होने से व विधिक वारिस उत्तराधिकारी होने की हैसियत से वादी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि में अपने निहित हक हिस्से की घोषणा करा उक्त कृषि भूमि वादी के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से घोषित कराने के अधिकारी है, अर्थात् राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी का हक हिस्सा घोषित कराने एवं वादी राजस्व रेकार्ड में अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी हैं।

4. यह कि वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी वादी के पक्ष में है क्योंकि स्वर्गीय केशरसिंह पिता झुंझारसिंह के विधिक वारिस उत्तराधिकारी में वादी दत्तक पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगी दोहित्री होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 स्वर्गीय केशरसिंह पिता झुंझारसिंह के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण है वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.03.07 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में स्वर्गीय केसरसिंह के नाम वाद पत्र में वर्णित हिस्से अनुसार खातेदारी हक से दर्ज है, उक्त हक हिस्सा कृषि भूमि का वादी संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा वादी स्वर्गीय केशरसिंह का दत्तक पुत्र गोदपुत्र अर्थात् विधिक वारिस उत्तराधिकारी होने से वाद वर्णित कृषि भूमि में स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि का वादी हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा वाद वर्णित कृषि भूमि मुझ वादी के संयुक्त स्वामित्व अधिकार आधिपत्य एवं कब्जे उपभोग में हैं।

5. यह कि वाद कारण दिनांक 28.07.2024 को उत्पन्न हुआ जब मुझ वादी संख्या 1 द्वारा मुझ वादी संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर अपने दत्तक पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि दत्तक पुत्र की हैसियत से अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का से प्रार्थना की जिस पर पटवारी हल्का ने तहसीलदार सा. घासा से आदेश लाने हेतु कहा तब उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वादपत्र में वर्णित परिशिष्ट क की कृषि भूमि मय आ.चा. कुआ मय मकान वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में श्री केसरसिंह पिता श्री झुंझारसिंह के नाम 1/3 हिस्से से खातेदारी हक से दर्ज है एवं परिशिष्ट ख की कृषि भूमि मय आ.चा. कुआ वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में श्री केशरसिंह पिता श्री झुंझारसिंह राजपूत के नाम 1/9 हिस्से से खातेदारी में दर्ज है, स्वर्गीय केशरसिंह जी व उनकी पत्नी श्रीमती धापुकुंवर का देहावसान हो चुका है। वादी अपने पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर कानूनन स्वर्गीय केशरसिंह जी का मुतबन्ना (दत्तक पुत्र) एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वर्गीय केशरसिंह की सगी दोहित्री जो वादी के रिश्ते में सगी भाणेज हो स्वर्गीय श्री केशरसिंह पिता झुंझारसिंह के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण हैं। वादी रजिस्टर्ड गोदनामा से स्वर्गीय केशरसिंह का दत्तक पुत्र होने की हैसियत से उक्त वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि का वादी स्वर्गीय केशरसिंह का दत्तक (गोद पुत्र) हो विधिक वारिस उत्तराधिकारी होने से स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित हक हिस्से की कृषि भूमि में वादी का स्व[illegible] स्वत्व अधिकार होकर हिस्सा है, अर्थात् वादी उक्त स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

का संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि जो वादी के संयुक्त स्वामित्व अधिकार आधिपत्य एवं कब्जे उपभोग में होकर वादी हक हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है वादी स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि में स्वर्गीय केशरसिंह का दत्तक पुत्र विधिक वारिस उत्तराधिकारी होने की हैसियत से वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में स्वर्गीय केशरसिंह के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि में अपने निहित हक हिस्से की घोषणा करा उक्त कृषि भूमि वादी के नाम संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार खातेदारी हक से घोषित कराने का अधिकारी है अर्थात् राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी का हक हिस्सा घोषित कराने एवं राजस्व रेकार्ड में अपने नाम का अंकन कराने की अधिकारीणी हैं।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी वाद वर्णित कृषि भूमि में स्वर्गीय श्री केशरसिंह पिता झुंझारसिंह के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि में दत्तक पुत्र की हैसियत से अपने हक हिस्से की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम का अंकन करावे तो मुझ प्रतिवादीया संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं हैं। वादी वादपत्र में वर्णित परिशिष्टों की कृषि भूमि में स्वर्गीय श्री केशरसिंह पिता झुंझारसिंह के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि में रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर वादी दत्तक पुत्र की हैसियत से वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अपने निहित हक हिस्से की घोषणा करावे अर्थात् अपने नाम आधे हिस्से का अंकन करावे एवं मुझ प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम आधे हिस्से, अर्थात् 1/6–1/6 हिस्से से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में घोषित करावे तो मुझ प्रतिवादीया संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं हैं। वाद वादी डिक्री किया जावे तो मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

8. प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाब होने से तनकीयात कायम नहीं कर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री वक्तावरसिंह, पीडब्ल्यू 2 श्री मोहनलाल, पीडब्ल्यू 3 श्री भंवरसिंह के शपथ पत्र पेश किये। गवाह पीडब्ल्यू 1 द्वारा दस्तावेज मौजा देवाली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 191 प्रदर्श 1, खाता संख्या 239 प्रदर्श 2, मौजा देवाली का आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, गोदनामा दिनांक 03 [illegible] 2008 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

करवाये गये। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया।

9. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा देवाली पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 191 पर दर्ज आराजी नम्बर 1172/686, 636, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 किता 14 कुल रकबा 2.5737 हेक्टेयर भूमि केसर सिंह पुत्र झुझारसिंह के नाम 1/3 हिस्सा से व शेष अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 239 पर दर्ज आराजी नम्बर 669 रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि केसर सिंह पुत्र झुझारसिंह के नाम 1/9 हिस्सा से व शेष अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज है। केसर सिंह पिता झुझारसिंह राजपूत देहान्त 02.06.2016 एवं एवं इनकी पत्नी धापुकुंवर का देहान्त 07.10.1974 को हो गया। वादी के कथनानुसार केसर सिंह पिता झुझारसिंह राजपुत के कोई पुत्र संतान नही हुई। केवल मात्र एक पुत्री कमलाकुंवर हुई। जो फौत हो चुकी है। कमला कुंवर के एकमात्र पुत्री श्रीमती सुशीला कुंवर हुई जो वाद में प्रतिवादी संख्या 1 है। प्रदर्श 4 रजिस्टर्ड गोदनामे अनुसार केसर सिंह पिता झुझारसिंह द्वारा वक्तावर सिंह पिता भंवरसिंह मुतबन्ना श्री केशरसिंह वादी को गोद पुत्र लिया गया। रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 3.11.2008 अनुसार श्री भंवरसिंह पिता मोहनसिंह द्वारा अपने पुत्र वादी को केशर सिंह पिता झुझारसिंह राजपूत को गोद दिया गया। गोदनामें में स्पष्ट अंकित है कि भंवरसिंह पिता मोहनसिंह द्वारा अपने पुत्र वादी को जिसकी उम्र 10 वर्ष थी तब ही गोद दे दिया। अब दत्तक पिता की चल अचल सम्पति पाने का पुर्ण अधिकार है। प्राकृतिक पिता की चल सम्पति पर अब वक्तावर सिंह का कोई हक अधिकार नही रहता है। उक्त गोदनामे पर केसरसिंह एवं भंवरसिंह के हस्ताक्षर है जो वादी के प्राकृतिक पिता एवं दत्तक पिता है। इससे स्पष्ट है कि वादी को केसरसिंह पिता झुझार सिंह द्वारा गोद रखा गया था। इस प्रकार केसर सिंह पिता झुझारसिंह की भूमि में वादी का हक हिस्सा निहित है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विरासत से नामान्तरकण पारित नही करने से राजस्व रिकॉर्ड में केसर सिंह पिता झुझारसिंह के ही नाम अंकित चला आ रहा है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pu[illegible]
Date: 2025.03.07 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा देवाली पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 191 पर दर्ज आराजी नम्बर 1172/686, 636, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 किता 14 कुल रकबा 2.5737 हेक्टेयर भूमि में केसर सिंह पिता झुझारसिंह के नाम 1/9 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी वक्तावरसिंह पिता भंवरसिंह मुतबन्ना केशरसिंह राजपूत को 1/18 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 सुशीला कुंवर माता स्वर्गीय कमलाकुंवर को 1/18 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 239 पर दर्ज आराजी नम्बर 669 रकबा 0.0728 हेक्टेयर भूमि में केसर सिंह पिता झुझारसिंह के नाम 1/9 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी वक्तावरसिंह पिता भंवरसिंह मुतबन्ना केशरसिंह राजपूत को 1/18 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 सुशीला कुंवर माता स्वर्गीय कमलाकुंवर को 1/18 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री वक्तावरसिंह पिता भंवरसिंह मुतबन्ना केशरसिंह राजपूत निवासी देवाली तहसील घासा।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती सुशीला कुंवर माता कमलाकुंवर पुत्री केशरसिंह पत्नी भोपालसिंह राजपूत निवासी मुर्डिया तहसील वल्लभनगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 148/24 (वाद) GCMS No. – 2024/338

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा देवाली पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 191 पर दर्ज आराजी नम्बर 1172/686, 636, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 किता 14 कुल रकबा 2.5737 हेक्टेयर भूमि में केसर सिंह पिता झुझारसिंह के नाम 1/9 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी वक्तावरसिंह पिता भंवरसिंह मुतबन्ना केशरसिंह राजपूत को 1/18 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 सुशीला कुंवर माता स्वर्गीय कमलाकुंवर को 1/18 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 239 पर दर्ज आराजी नम्बर 669 रकबा 0.0728 हेक्टेयर भूमि में केसर सिंह पिता झुझारसिंह के नाम 1/9 हिस्से से दर्ज है के बजाय वादी वक्तावरसिंह पिता भंवरसिंह मुतबन्ना केशरसिंह राजपूत को 1/18 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 सुशीला कुंवर माता स्वर्गीय कमलाकुंवर को 1/18 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:23 IST
Reason: SelfAttested